<u>न्यायालय :—श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> मजिस्ट्रेट, अंजड जिला —बड्वानी (म.प्र.)

<u>आपराधिक प्रकरण कमांक 388 / 2014</u> संस्थित दिनांक—05.06.2014

म.प्र. राज्य द्वारा—आरक्षी केन्द्र ठीकरी,जिला बड़वानी

.....अभियोगी

वि रू द्ध

शंकर पिता बदाम मानकर, उम्र—22 वर्ष, निवासी— भोईन्दा थाना बलकवाड़ा, जिला— खरगोर (म.प्र.)

.....अभियुक्त

राज्य द्वारा — श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. । अभियुक्त द्वारा — श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता।

--:: नि र्ण य ::--(आज दिनांक 23/09/2017 को घोषित)

- 01. आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 120/14 के आधार पर दिनांक 23.05.2014 को समय 07:00 बजे स्थान— कस्बा ठीकरी चौपाटी पर वाहन टी.वी.एस. सूजकी मोटरसाईकिन एम.पी. 11 बी.बी. 7033 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर शाहरूख एवं जितेन्द्र का जीवन संकटापन्न करने तथा उक्त मोटरसाईकिल की बिना चालन अनुज्ञप्ति के बिना पंजीयन प्रमाण पत्र के तथा बिना बीमा कराये चलाने के लिये भा.द.सं. की धाारा 279 तथा मोटरयान अधि. 1988 की धारा 3/181, 39/192 (1) (ए) एवं 146/196 का अभियोग है।
- 02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन साक्षीगण आरोपी को जानते हैं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा आरोपी से उक्त मोटरसाईकिल जप्त की थी तथा यह तथ्य भी स्वीकृत है कि आरोपी के पास उस समय वाहन का रिजस्ट्रेशन, बीमा और चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि आहत शाहरूख और जितेन्द्र द्वारा आरोपी से राजीनामा करने के कारण आरोपी को भा.द.सं. की धारा 337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है।
- 03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.05.2014 को जितेन्द्र यादव ने थाना ठीकरी पर आकर टी.वी.एस. सुजकी मोटरसाईकिल एम.पी. 11 बी.बी. 7033 के चालक ने विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आज शाम

07:00 बजे वह अपनी बजाज मोटरसाईकिल से शाहरूख को बैठाकर बाजार जा रहा था। चौपाटी चौराहे पर उसने अपनी मोटरसाईकिल किनारे रोक दी, इतने में दवाना रोड़ की तरफ से उक्त मोटरसाईकिल एम.पी. 11 बी.बी. 7033 का चालक उसकी मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार तथा लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तथा उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह तथा शाहरूख सड़क पर गिर गये। उसे शीने और बाये पैर में चोट आई। शाहरूख को भी दोनों पैरों में चोटे आयी और शाहरूख को लेकर अस्पताल ठीकरी गया। जहां दोनों का ईलाज कराया तथा रिपोर्ट करने आया। जितेन्द्र की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 120/14 दर्ज कर विवेचना के दौरान नक्शा मौका बनाया। आरोपी से उक्त मोटरसाईकिल जप्त की। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 23.05.2014 को समय 07:00 बजे स्थान— कस्बा ठीकरी चौपाटी पर वाहन टी.वी.एस. सूजकी मोटरसाईकिल एम. पी. 11 बी.बी. 7033 को लोक मार्ग पर को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर शाहरूख और जितेन्द्र का जीवन संकटापन्न किया?
2	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, स्थान और समय पर उक्त मोटरसाईकिल एम.पी. 11 बी.बी. 7033 को बिना पंजीयन प्रमाण पत्र का बिना बीमा कराये तथा बिना चालन अनुज्ञप्ति के लोक मार्ग पर चलाया ?

-:सकारण निष्कर्ष:- विचारणीय प्रश्न कं.1 व 2

04. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में जितेन्द्र अ.सा.1 का कथन है कि लगभग 5—6 माह पूर्व वह बजाज मोटरसाईकिल से बाजार से शोरूम की ओर जा रहा था उसके साथ शाहरूख भी बैठा था। वे दोनों बड़वानी रोड़ चौपाटी पर पहुंचे तथा दवाना की ओर से आ रही टी.वी.एस. सुजकी मोटरसाईकिल के चालक ने सामान्य गित से मोटरसाईकिल चलाकर उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर दर्ज करायी थी जो प्रदर्श पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर प्रदर्श पी—2 का घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट में सुजकी मोटरसाईकिल का नम्बर एम.पी.11 बी.बी. 7033 बताया था और जिस मोटरसाईकिल चालक ने टक्कर मारी थी वह शंकर ही था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि टक्कर मारने वाला वाहन धीमे चल रहा था। उसे टक्कर माने वाले वाहन का नम्बर नहीं मालूम और उक्त वाहन कीन

चला रहा था यह भी नहीं मालूम।

- **05.** शाहरूख अ.सा.3 का कथन है कि लगभग 1 साल पहले वह जितेन्द्र की मोटरसाईकिल पर बैठा था। गाड़ी जितेन्द्र चला रहा था। उनकी मोटरसाईकिल की आरोपी की मोटरसाईकिल से आमने—सामने टक्कर हो गयी थी, जिसमें उसे ओर जितेन्द्र को चोटें आयी थी।
- 06. आर.एस.गणावा अ.सा.2 का कथन है कि दिनांक 23.05.2014 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 120/2014 की विवेचना के दौरान उसने फरियादी जितेन्द्र और शाहरूख के कथन लिये थे, उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी—2 का बनाया था तथा आरोपी के पेश करने का मोटरसाईकिल एम.पी.11 बी.बी. 7033 प्रदर्श पी—4 के अनुसार जप्ती की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कथन है की आरोपी ने वाहन का पंजीयन, बीमा और अपनी चालन अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया था। इस कारण से उक्त चीजे जप्त नहीं की गई। इस कारण आरोपी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 146/196 एवं 3/181 में अभियोग पत्र पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी को यह सुझाव नहीं दिया गया कि आरोपी के पास उक्त वाहन के सभी दस्तावेज थे अथवा आरोपी से उक्त वाहन जप्त नहीं किया गया।
- राजीमाना होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया था। आहत साक्षी जितेन्द्र अ.सा.१ तथा शाहरूख अ.सा.३ ने आरोपी द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। शाहरूख अ.सा.3 का यहा तक कथन है कि उनकी मोटरसाईकिल से आरोपी की मोटरसाईकिल से आमने-सामने टक्कर हो गयी थी। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से उक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.11 बी. बी. 7033 चलाकर उक्त आहत साक्षियों को जीवन संकटापन्न प्रमाणित नहीं होता लेकिन, उक्त दोनों ही आहत साक्षियों ने आरोपी की पहचान दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल एम.पी.11 बी.बी. 7033 चलाने वाले व्यक्ति के रूप में की है तथा जितेन्द्र अ.सा.1 ने उक्त मोटरसाईकिल के चालक के रूप में आरोपी की पहचान भी की है। आर.एस.गणावा अ.सा.२ ने आरोपी के पेश करने पर उक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 11 बी.बी. 7033 को जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी ने वाहन का रिजस्ट्रेशन, बीमा एवं उसकी चालन अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया था। इस कारण उपरोक्त चीजे जप्त नहीं की है। यह तक कि आरोपी ने द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा और चालन अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया था तो अभियोजन की साक्ष्य और आरोपी की स्वीकारोक्ती से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी द्वारा लोक मार्ग उक्त मोटरसाईकिल कुमांक एम.पी.11 बी.बी.7033 को बिना चालन अनुज्ञप्ति और बिना बीमा कराये चलाया जा रहा था। यहां तक कि प्रकरण में आरोपी की ओर से कोई भी दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 08. ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्ध बिना बीमा कराये सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का उपयोग करने के लिये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 तथा सार्वजनिक स्थान में बिना चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त किये हुये, उक्त मोटरसाईकिल चलाने के लिये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 3/181 का अपराध प्रमाणित होता

है। अतः न्यायालय आरोपी शंकर पिता बदाम सिंह मारकर को मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 एवं 3 / 181 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

- 09. जहां तक भा.द.सं. की धारा 279 का प्रश्न है वहां किसी भी आहत साक्षी ने लोक मार्ग पर आरोपी द्वारा वाहन उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं ऐसी स्थिति में भा.द.सं. की धारा 279 का अपराध आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता तथा घटना के समय आरोपी द्वारा चलायी जा रही, उक्त मोटरसाईकिल पर उसका नम्बर एम.पी.11 बी.बी. 7033 दर्शित तथा जप्तीकर्ता अधिकारी श्री आर.एस.गणावा अ.सा.2 ने भी आरोपी से उक्त वाहन क्रमांक एम.पी.11 बी.बी. 7033 जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी का यह कथन नहीं है कि उक्त मोटरसाईकिल को रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द हो चुका था तो ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधि. 1988 की धारा 39/192 का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः भा.द.सं. की धारा 279 एवं मोटरयान अधि. 39/192 के अपराध से आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है।
- 10. चुंकि आरोपी को मोटरयान अधि. 1988 की धारा 146/196 एवं 3/181 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। अतः सजा के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्धन बताया है तथा कम से कम दण्डादेश देने की प्रार्थना की है।
- 11. आरोपी इस प्रकरण में अभिरक्षा में है तथा शेष धाराओं से उसे दोषमुक्त किया गया है, इस कारण आरोपी को अधिकतम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यह न्यायालय आरोपी शंकर पिता बदाम सिंह को मोटरयान अधि. 1988 की धारा 146/196 में दोषि ठहराते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास तथा रूपये 500 के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी 07 दिन सादा कारावास भुकतेगा। मोटरयान अधि. 03/181 में आरोपी को दोषि ठहराते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रूपये 100 के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी 03 दिन सादा कारावास भुकतेगा।
- 12. प्रकरण में जप्त मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.11 बी.बी. 7033 थाना ठीकरी पर है। उक्त मोटरसाईकिल अपील अवधि पश्चात् उसके पंजीकृत स्वामी को वापस की जावे।
- **13.** आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

सही / (श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बडवानी म.प्र.

सही / (श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बडवानी म.प्र.

न्यायालय:—श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला —बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण कमांक 556/2016 संस्थित दिनांक—17.09.2016

म.प्र. राज्य द्वारा—आरक्षी केन्द्र ठीकरी,जिला बड़वानी (म.प्र.)

..... अभियोगी

वि रू द्ध

मदन पिता अनसिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी— मुलाल्दापुरा कांकरिया, तहसील— ठीकारी, जिला— बड़वानी (म.प्र.)

अभियुक्त

राज्य द्वारा – श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. । अभियुक्त द्वारा – श्री विशाल कर्मा।

--:: नि र्ण य ::--(आज दिनांक 22/09/2017 को घोषित)

- 01. आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के आपराध क्रमांक 176 / 16 के आधार पर दिनांक 25.05.2016 को समय मध्यरात्रिः 01:00 बजे के लगभग स्थान फरियादिया के घर के सामने ग्राम मुजाल्दापुरा कांकरिया उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़के उस पर अपराधिक बल का प्रयोग करने के लिये भा.द. सं. की धारा 354 का आरोप है।
- 02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी ने आरोपी से द.प्र.सं. की धारा 320 का आवेदन पेश करके राजीनामा करने की अनुमित चाही थी, जिसके आधार पर भा.द.वि. की धारा 506 भाग—2 में राजीनामा स्वीकार किया गया तथा भा.द.सं. की धारा 354 का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त धारा में आवेदन निरस्त किया गया।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-

Φ.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 29.100.20010 को लगभग सुबह 04:30 बजे स्थान लोक मार्ग फोर लाइन गुरूद्वारा के पास ग्राम सांगवी पर ट्रक कमांक यू.पी—.78 ए.टी—.8759 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर पिंटू, विजय, जयमिल की मृत्यु ऐसी परिस्थिति मे कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती?

—:<u>सकारण निष्कर्षः—</u>

<u>:</u>=

06.

07.

//02//

आ.प्र.कं.<u>556/2016</u>

08.

09.

10.

- 12. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
- 13. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा—354 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।

14. निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

0

सही / – (श्रीमती वंदना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. सही / – (श्रीमती वंदना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।